

निर्णय बड़जलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 07/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं० 2025/14

ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर

..... प्रार्थी

1. जैम कंसल्टेन्टस वास्ते प्रोपराईटर जाकिर खान नि० शिव मन्दिर के पास रेल्वे कॉलोनी सवाई माधोपुर 322001।
2. श्री जफरुद्दीन पुत्र रहमत खान निवासी शिव मन्दिर के पास वार्ड नं. 32 रेल्वे कालोनी सवाई माधोपुर 322001, अन्य पता -सम्पत्ति स्थित एसआर 203, बुक नं. 01 गांव कुतलपुरा जाटान ग्राम पंचायत आलनपुर तह० व जिला सवाई माधोपुर।
3. जाकिर खान पुत्र जकरुद्दीन निवासी रेल्वे कालोनी शिव मन्दिर के पास, कुतलपुरा जाटान ग्रामीण सवाई माधोपुर 322001।

.....अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

—: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.01.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में जैम कंसल्टेन्टस प्रोपराईटर जाकिर खान नि० शिव मन्दिर के पास रेल्वे कॉलोनी सवाई माधोपुर की सम्पत्ति एसआर 203, बुक नं. 01 गांव कुतलपुरा जाटान ग्राम पंचायत आलनपुर तह० व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में गफूर का प्लाट, पश्चिम में खाली जमीन, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में पडत की जमीन है, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 26,00,000 (छब्बीस लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 17.10.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 11.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति एसआर 203, बुक नं. 01 गांव कुतलपुरा जाटान ग्राम पंचायत आलनपुर तह० व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में गफूर का प्लाट, पश्चिम में खाली जमीन, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में पडत की जमीन है, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग गज वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
5. आदेश आज दिनांक 31.1.2025 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

